एक सरकार जरिये तहसीलदार बनाम किशना

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	दावा इन्तकाल 142/2024
	प्रतिवादीगण के वकील पेश हुए नकली पेश करने हेतु दिनांक 12-5-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
12-5-25	पत्रावली पेश हुई। वादी पेशीकार व वकील प्रतिवादीगण उप.। वाद-पेशीकार द्वारा वाद दरख्वास्त O7R11CPC अपठित बाबत 151CPC पेश किया गया। जिस वकील प्रतिवादीगण को दिखवाई गई। वकील प्रतिवादीगण ने आ. पत्र O7R11CPC की वापसी हेतु निवेदन किया, वापसी उसका पत्र खुली गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश आ.पत्र O7R11CPC दिनांक 14-05-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
14-5-25	पत्रावली पेश हुई। वादी पेशीकार व वकील प्रतिवादीगण अनिका। वादी आ.पत्र O7R11CPC अपठित बाबत 151CPC पूर्व में खुली की चूकी है दोनों पक्षकारों प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि विवादित भूमि बाबत 227 वर्गगज 0.32 हैक्टेयर व बाबत 3018/230 रकबा 0.2640 हैक्टेयर के संबंध में कब्जाकार प्रतिवादीगण (अपंजीकृत बैनामा-1 नग) बाबत रिकॉर्ड वापसी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालील में जारी हुए

वाद संख्या 142/2024

वाद हिस्से अनुसार खातेदार प्रतिवादीगण/
आवेदिका खातेदारान ने मौके पर आवागमन
का रास्ता कायम कर रास्ते के अवशेष भूमियों
का मौके पर विभाजन कर खातेदारान के
कब्जे में आई भूमियों में आवास पशुओं
से फसलों की सुरक्षा के लिए तार व पत्थर
फेन्सिंग करने हेतु बाउण्ड्री वॉल का बैन
बनाया है। प्रतिवादीगण के कब्जे में
आई भूमियों पर मौके पर अलग-2 नक्शत
की जा रही है तथा मौके पर पुलाई की
गई है। न्यायालय आदेश के कारण खेत
सीमाओं पर तार फेन्सिंग का निर्माण आवश्यक
है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने-2 हिस्से
की भूमियों पर काश्त कर रहे हैं तथा आदि
व फसलों की सुरक्षार्थ बाउण्ड्री तथा व फेन्सिंग
का कार्य कर रहे हैं जो कृषिकृत्य की श्रेणी
का कार्य है। प्रतिवादीगण ने अभी तक किसी भी
प्रकार का गैर कृषि उपयोग नहीं किया है
तथा न ही कोई आवासीय उपयोग किया है
तहसीलदार महोदय द्वारा [illegible]
प्रतिवादीगण को [illegible] कृषि
भूमियों के लिए गैर कृषि उपयोग के
रकबा तय आधार बनाकर दावा / पत्रावली
पत्र आवश्यकी निरीक्षण पेश किया है जो
बिना किसी कठिनाई चलने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
6/21	

नहीं है प्रतिवादीगण ने वादित भूमियों पर कोई भी अधिकार का कार्य या अतिक्रमण नहीं किया है। वादी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार दीनबंधु के यहां से जारी नोटिस दिनांक 05-05-21 से भी उनके तथ्य साबित हो रहे हैं अतः बिना साक्ष्य के दावा पत्र मेरिटोरियस नहीं होने से मेरा यह 07 Rule CPC निरस्त करने का दावा अंतरिम पर स्वीकार करने की कृपा करें। श्री प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुनकर उक्त निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा शुदा भूमियों में बिना संशोधन करवाए अन्य प्रकार की भूमि को दर्शाया गया विसंगित कर गैर कृषि उपयोग किया है। अतः प्रारंभिक आपत्तिकर स्वीकार करें। इनके द्वारा उभय पक्ष सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड प्रारंभिक का अवलोकन किया गया जिसकी अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दिनांक 05-05-21 कार्य नोटिस रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि [illegible] के अपीलार्थी के अनुसार [illegible] अनुसार सहमति से रास्ता छोड़कर मौके पर विभाजन कर दिया है तथा विभाजन के अनुसार बनाये पार्टिशन दावा दर्ज पत्रावली के विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

राज० पत्रिका (जयपुर) दिनांक 15/1/24

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

क्रमांक — अ०नं० 1142/2024

मौके पर है तथा कोई मकान या दुकान की
उक्त आराजी पर नहीं बनी हुई है किसी
स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित
भूमि का अनुचित अधिग्रहण प्रतीत नहीं होता है
वा ही तहसीलदार सीमाओं पर से कार्यवाही
के पूर्व आवेदिका को कोई नोटिस जारी किए
ही बेदखली में दिया अधिक तब कारण के वादी
चलने योग्य नहीं पाए जाने से प्रार्थना पत्र
O7 R11 CPC सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया
जाकर वाद व प्रार्थना पत्र अस्वीकार
किया जाता है रही स्टे पर स्वतंत्र निर्णय वाद
में लिया जाता है लेकिन यदि अभिलेख से प्रतिवादीगण द्वारा
दिनांक संपरिवर्तन कराए हुए भूमि का अनुचित
अधिग्रहण करते हैं तो तहसीलदार सीमाओं पर
नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेंगे
प्रतिवादी के पक्ष में होकर वाद खारिज
खारिज किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
श्रीमाधोपुर (सीकर)